भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2724

सोमवार, 17 मार्च, 2025 / 26 फाल्गुन, 1946 (शक)

ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि

2724. श्री टी. आर. बालू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) सहित विभिन्न श्रमिक संघों ने सरकार से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के अंतर्गत पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर 9,000 रूपये करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पेंशन मे कब तक वृद्धि की जाएगी; और

(ग) उन सेवानिवृत्त ईपीएस पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है जिन्हें 9,000 रूपये से कम पेंशन मिल रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): जी हां।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) 15,000/- रुपए प्रति माह तक वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाती है:

$$\frac{\text{पेंशन योग्य सेवा} \times \text{पेंशन योग्य वेतन}}{70}$$

हालांकि, सरकार ने पहली बार, वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनरों को प्रति माह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की थी, जो कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लिए ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से वेतन के 1.16 प्रतिशत के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त थी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, लगभग 47 लाख पेंशनभोगी सदस्य 9000/- रुपए प्रति माह से कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

******